REGD. No. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231917 CG-DL-E-16122021-231917

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4859]नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2021/अग्रहायण 25, 1943No. 4859]NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021/AGRAHAYANA 25, 1943

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021

**का.आ. 5240(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अनुसूची में, क्रम सं. 566 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

तालिका

<b>क्र</b> .		राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
सं.	सं.	
(1)	(2)	(3)
566	752डी	मध्य प्रदेश राज्य में क्षिप्रा पुल (लोहार पिपलिया गांव) के निकट रारा-52 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर बडनावर की ओर 72.30 किमी के स्पर सहित मेंडिया, तपोभूमि (उज्जैन), इंगोरिया, बडनगर को जोड़ते हुए और खेड़ा (बडनावर) पर समाप्त होने वाला तथा देवास की और 7 किमी के स्पर से उज्जैन को जोड़ने वाले और राजस्थान से होकर गुजरने के बाद गरोठ के निकट एनई-4 के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

पाद टिप्पण : राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और तत्संबंधी अनुसूची, भारत के राजपत्र दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 में अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांकित 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी और पिछली बार संशोधन अधिसूचना सं. का. आ. 3989(अ), दिनांकित 27 सितंबर, 2021 द्वारा किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14012/12/2021-पी एंड एम-पार्ट(1)]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2021

**S.O. 5240(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the  $4^{th}$  April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 566 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

**TABLE** 

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
566	752D	The highway starting from its junction with NH No. 52 near Kshipra Bridge (Village Lohar Piplia) including spur of <b>72.30 Km towards Badnawar connecting Mendiya, Tapobhumi (Ujjain), Ingoriya , Badnager and terminating at Kheda (Badnawar)</b> and a spur of 7 Km towards Dewas connecting Ujjain and terminating at its junction with NE 4 near Garoth in the state of Madhya Pradesh after passing through the state of Rajasthan.

**Footnote :** The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 3989 (E), dated 27<sup>th</sup> September, 2021.

[F. No. NH-14012/12/2021-P&M-Part(1)] RAJESH GUPTA, Director

## 2